# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

## बईजलास – डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

**रसद अपील संख्या–90/2019**
**जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2019/00127**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| नरेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी खानपुर तहसील लाडनूं जिला नागौर। | | राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर |

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री दिनेश कुमार हेडा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) श्री रामजीवन बेनीवाल

निर्णय दिनांक– 15-03-2021

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील खण्ड 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत, जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 54/2018 सरकार बनाम नरेन्द्रसिंह में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के विरूद्ध दिनांक 21.11.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी नागौर के द्वारा अपीलांट के विरूद्व दिनांक 01.01.2019 को विभागीय प्रकरण संख्या 54/2018 दर्ज कर नोटिस जारी किया गया, जिसमे अपीलांट के विरूद्व गलत तथ्यो के आधार पर झुठे आरोप लगाये गये। जिस पर अपीलांट नोटिसकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। जिस पर उसी दिन अपीलांट के विरूद्व आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट के नाम से उचित मूल्य दुकानदार आसोटा के लिए जारी प्राधिकार पत्र संख्या 816/2006 को निरस्त करने एवं जमा राशि 1000/– रूपये राज हित में जब्त करने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है।

**2(1)**–आदेश जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यों, परिस्थितियो, साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी के द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों की सही तौर से व्याख्या नही की है जिससे भी आदेश जैर खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

**2(2)**–जिला रसद अधिकारी के प्रवर्तन अधिकारी ने भी दिनांक 10.12.2017 को ग्राम पंचायत आसोटा में उपस्थित रहकर अपीलांट के विरूद्व प्राप्त शिकायत पर जांच की गई। उक्त शिकायत के आधार पर भी स्पष्ट है कि जांच में शिकायत निराधार पायी थी और अपीलांट के विरूद्व ऐसे कोई तथ्य प्रमाणित नही थे, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानो के उल्लंघन की श्रेणी में आते हो। यहां तक कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बयान व सबूत प्रस्तुत नहीं किये थे, जिससे अपीलांट के विरूद्व कोई आरोप प्रमाणित हो। जिससे भी अपीलांट के विरूद्व पारित आदेश जैर अपील खारिज होने योग्य है।

**2(3)**–अपीलांट के विरूद्व उससे रंजिश रखने वाले लोगो के द्वारा झुठा शिकायते की जाती रही हैं, जिसके संबंध में दिनांक 30.12.2018 को उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के आदेश से जांच भी मौके पर की गई और मौके पर स्टॉक भी सही पाया गया और उपस्थित लोगो ने राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने की बात भी कही गई थी एवं मौके पर जांचकर्ता तहसीलदार लाडनूं ने जांच के दौरान बयान भी ग्रामीणो के लेखबद्व किये थे। इससे पूर्व भी तहसीलदार लाडनूं के द्वारा दिनांक 08.03.2016 को जिला रसद अधिकारी नागौर को पत्र भेजकर अपीलांट के विरूद्व दी गई शिकायत झुठी होने के तथ्य प्रकट किये थे।

**2(4)**–जिला रसद अधिकारी के द्वारा आदेश पारित करते समय अपीलांट के द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर उसके विरूद्व अपराध प्रमाणित माना हैं, जबकि अपीलांट के विरूद्व जो आरोप लगाये गये थे। उसके पुष्ट होने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य नही थी। अपीलांट ने पूर्व की रिपोर्ट में जांच अधिकारी श्रीमती रजनी स्वामी को देना बताया था, जिसका खण्डन भी विभागीय स्तर पर नहीं हुआ था, जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त आदेश विधि के प्रावधानो का गलत प्रकार से निर्वचन करते हुए पारित किया गया हैं, इस आधार पर आलौच्य आदेश खारिज होने योग्य है।

**2(5)**–आलौच्य आदेश पारित करते समय अपीलांट को युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य, सबूत पेश करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया था तथा जवाब प्रस्तुत होने की तिथि हो ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया था, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश पूर्णतया पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पारित किया गया है। जो खारिज होने योग्य है।

**2(6)**–अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम आसोटा में कार्यरत रहते हुए नियमानुसार कार्य किया है और किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। जिसकी पुष्टि विभिन्न प्रकार की जांचो से होती हैं, परन्तु अपीलांट से अदावत रखने वाले लोगो द्वारा गलत व झुठी शिकायतो के आधार पर अपीलांट को परेशान किया जा रहा है और इस आधार पर जो प्रकरण दर्ज होकर आलौच्य आदेश पारित हुआ हैं, वो इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान जिला रसद अधिकारी नागौर के द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 54/2018 सरकार बनाम नरेन्द्रसिंह निर्णय/आदेश दिनांक 22.10.2019 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

**3**–प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 08.10.2018 एवं श्री गिरधारीराम पुत्र भागीरथराम जाट निवासी खानपुरा तहसील लाडनूॅं की शिकायत के कम में प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार [illegible] द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.10.18 अनुसार अपीलान्ट द्वारा अनियमितता पाई जाने पर विभागीय प्रकरण संख्या–54/2018 राज. सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह उ.मू.दु. खानपुर दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested

नोटिस दिनांक 01.01.2019, 12.06.2019, 15.10.2019 जारी कर जबाब चाहा गया, जिस पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी 12.06.2019, 04.09.2019, 22.10.2019 को उपस्थित हुआ एवं तारीख पेशी 22.10.2019 को जबाब पेश किया। प्रकरण में अपीलान्ट को जारी कारण बताओ नोटिस अनुसार अपीलान्ट आरोप था कि अपीलान्ट द्वारा संचालित उ.मु. दु. का तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.17 की रिपोर्ट अनुसार माह सितम्बर 2016 से पोश मशीने लागू कर दिये जाने से पूर्व बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अन्तोदय श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह से व अन्य श्रेणी के पात्र परिवारों को दो माह में एक बार वितरण किया गया। जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडनूँ को स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की गई कि रसद विभाग के आदेशानुसार एक माह छोड़कर गेहूँ वितरण करते है। तत्कालीन जॉच अधिकारी की रिपोर्ट मुताबिक मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत आसोटा के अनुसार भी एक माह छोड़ कर राशन वितरण करना बताया गया। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.10.2019 को प्रस्तुत जबाब प्रस्तुत किया एवं अपीलान्ट को व्यक्तिगत भी सुना गया, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब एवं व्यक्तिगत सुनवाई में कहीं भी उक्त आरोप के खण्डन में कोई ठोस कथन नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडनूँ के समक्ष दिनांक 03.03.2016 को लिखित जबाब में कथन किया है कि ***"पूरे जिले में रसद विभाग के आदेशानुसार एक महिना छोड़कर गेहूँ का वितरण होता है हम भी विभाग के आदेशानुसार सही वितरण करते है।"*** अपीलान्ट के उक्त कथन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रतिमाह वितरण नहीं किया जाता है। जबकि एक माह छोड़कर वितरण करने का रसद विभाग का कोई आदेश नहीं है एवं अपीलान्ट द्वारा भी एक माह छोड़कर वितरण करने के संबंध में रसद विभाग के आदेश की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका जॉच दिनांक 10.02.17 जो प्रवर्तन अधिकारी लाडनूँ द्वारा मौके पर तैयार की गई है, उक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ***"मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत आसोटा ने बताया कि पीओएस मशीन से पूर्व बीपीएल लाभावित्त को प्रति माह व अन्य पात्रताधारियों को दो माह से राशन वितरण किया जाता रहा है।"*** उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्ट व सरपंच ग्राम पंचायत आसोटा व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुऐ। अपीलान्ट द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार उपुर्यक्तानुसार तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा एक महिना छोड़कर गेहूँ का वितरण किया गया, जो किसी भी प्रकार से नियमानूकल नहीं है। अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप पूर्णतया प्रमाणित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किये जाने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

**4**–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 08.10.2018 एवं श्री गिरधारीराम पुत्र नारायणराम जाट निवासी खानपुरा तहसील लाडनूँ की शिकायत के क्रम में प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामवतार पूनिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.10.18 अनुसार अपीलान्ट द्वारा अनियमितता पाई जाने पर विभागीय प्रकरण संख्या–54/2018 राज. सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह उ.मू.दु. खानपुर दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 01.01.2019, 12.06.2019, 15.10.2019 जारी कर जबाब चाहा गया, जिस पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी 12.06.2019, 04.09.2019, 22.10.2019 को उपस्थित हुआ एवं तारीख पेशी 22.10.2019 को जबाब पेश किया एवं अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को प्रकरण में सुनवाई आदि पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:29:36 IST
Reason: Self Attested

**4(1)**–अपीलान्ट को जारी कारण बताओ नोटिस अनुसार अपीलान्ट आरोप था कि अपीलान्ट द्वारा संचालित उ.मु.दु. का तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार माह सितम्बर 2016 से पोश मशीने लागू कर दिये जाने से पूर्व बीपीएल, स्टेट बीपीएल व अन्तोदय श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रतिमाह से व अन्य श्रेणी के पात्र परिवारों को दो माह में एक बार वितरण किया गया। जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडनूँ को स्वीकारोक्ति प्रस्तुत की गई कि रसद विभाग के आदेशानुसार एक माह छोड़कर गेहूँ वितरण करते है। तत्कालीन जॉच अधिकारी की रिपोर्ट मुताबिक मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत आसोटा के अनुसार भी एक माह छोड़ कर राशन वितरण करना बताया गया।

**4(2)**–उक्त आरोप के संबंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.10.2019 को जबाब प्रस्तुत किया एवं अपीलान्ट को व्यक्तिगत भी सुना गया, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने जबाब एवं व्यक्तिगत सुनवाई में कहीं भी उक्त आरोप के खण्डन में कोई ठोस, प्रमाणिक एवं तथ्यपरक कथन नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडनूँ के समक्ष दिनांक 03.03.2016 को लिखित जबाब में कथन किया है कि ***"पूरे जिले में रसद विभाग के आदेशानुसार एक महिना छोड़कर गेहूँ का वितरण होता है हम भी विभाग के आदेशानुसार सही वितरण करते है।"*** अपीलान्ट के उक्त कथन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा प्रतिमाह वितरण नहीं किया जाता है। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) के कथनानुसार एक माह छोड़कर वितरण करने का रसद विभाग का कोई आदेश नहीं है। अपीलान्ट द्वारा भी एक माह छोड़कर वितरण करने के संबंध में रसद विभाग के आदेश की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका जॉच दिनांक 10.02.17 जो प्रवर्तन अधिकारी लाडनूँ द्वारा मौके पर तैयार की गई है, उक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ***"मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत आसोटा ने बताया कि पीओएस मशीन से पूर्व बीपीएल लाभावित्त को प्रति माह व अन्य पात्रताधारियों को दो माह से राशन वितरण किया जाता रहा है।"*** उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्ट व सरपंच ग्राम पंचायत आसोटा व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुऐ। अपीलान्ट द्वारा उक्त तथ्य के खण्डन में कोई ठोस एवं प्रमाणिक जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उपुर्यक्तानुसार तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा एक महिना छोड़कर गेहूँ का वितरण किया गया, जो विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से निर्णय जैर अपील में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**5**–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

**6**–निर्णय सुनाया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
**जिला कलक्टर, नागौर**
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested